प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
( युगलपीठ )

---

कोरम : माननीय श्री वी.के.श्रीवास्तव एवं

माननीय श्री एस० के० अग्निहोत्री, न्यायमूर्तिगण

---

दांडिक अपील क्रमांक 804/1989

छत्तीसगढ़ राज्य

बनाम

धर्मेंद्र मौर्य एवं अन्य

निर्णय विचार के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एसडी/–
वी.के.श्रीवास्तव
न्यायमूर्ति

माननीय श्री सतीश क. अग्निहोत्री

एसडी/–
मै सहमत हूँ सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायमूर्ति

23/12/2005 के लिए रखो

एसडी/–
वी.के.श्रीवास्तव
न्यायमूर्ति
23/12/2005

## छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

**( युगलपीठ )**

---

**कोरम : माननीय श्री विजय कुमार, श्रीवास्तव एवं**

**माननीय श्री सतीश कुमार अग्निहोत्री, न्यायमूर्तिगण**

---

**दांडिक अपील क्रमांक 804/1989**

**अपीलकर्ता** : **छत्तीसगढ़ राज्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**बनाम**

**उत्तरवादी गण** :

1. **धर्मेंद्र मौर्य**, उम्र 23 वर्ष, पिता – श्री इंदर काच्छी
2. **मुन्ना लोहार उर्फ देवेंद्र कुमार**, उम्र 26 वर्ष, पिता - श्री सुरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा
   दोनों निवासी - डिप्रापारा, बिलासपुर, थाना सिटी कोतवाली, बिलासपुर (म.प्र.) के निवासी हैं।

अपीलकर्ता/राज्य की ओर से : श्री अखिल मिश्रा तथा श्री रविन्द्र अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से : श्री अरुण कोचर, अधिवक्ता

**निर्णय बोर्ड से पारित**

**(दिनांक :– 03/12/2005)**

**माननीय न्यायमूर्ति विजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा**

1. यह अपील द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/88, में पारित दिनांक 25–8–1988 के निर्णय के विरुद्ध की गई है, जिसमे माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त /उत्तरवादी क्रमांक 1 को बलवंत सिंह की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया व अभियुक्त /उत्तरवादी क्रमांक 2 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया है।

2. इस अपील के संक्षिप्त निराकरण के लिए आवश्यक तथ्य यह है कि श्री जय सिंह और श्रीमती ज्ञान कौर, जो मृतक बलवंत सिंह के पिता और माता हैं, कालीचरण के स्वामित्व वाले मकान में किराए पर रह रहे थे, जो उत्तरवादी क्रमांक 1 धर्मेंद्र मौर्य के दादा हैं। भू स्वामी और किरायेदार का बहुत ही पुराना संबंध था लेकिन पिछले 4 वर्षों से भू स्वामी और किरायेदार के बीच विवाद चल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षकार एक दूसरे के विरूद्ध विभिन्न कार्यवाही कर चुके थे। इस कारण, उत्तरवादी क्रमांक 1 धर्मेंद्र मौर्य ने बलवंत सिंह के विरूद्ध द्वेष और दुश्मनी उत्पन्न हो गई थी। दिनांक – 18–6–1987 को, बलवंत सिंह अपने माता– पिता के साथ घर में था। लगभग 4.30 बजे बलवंत सिंह सूखा गोबर इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर आया तथा श्रीमती ज्ञान कौर और जय सिंह घर के अंदर ही रहे। जब बलवंत सिंह अपने घर से, मुश्किल से कुछ कदम आगे ही बढ़ा था, तभी उसे उत्तरवादीगण ने रोक लिया तथा घेर लिया। उत्तरवादी क्रमांक 2, मुन्ना लोहार उर्फ देवेन्द्र कुमार ने बलवंत सिंह को पीछे से पकड़ लिया और उत्तरवादी क्रमांक 1, धर्मेन्द्र मौर्य ने धारदार हथियार गुप्ती (एक प्रकार के चाकू) से उस पर वार किया। बलवंत सिंह ने जब शोर मचाया तब चीख पुकार सुनकर श्रीमती ज्ञान कौर और उनके पति जय सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। श्रीमती ज्ञान कौर और जय सिंह ने देखा कि उत्तरवादी गण घटना स्थल से भागते हुए देखा, उस समय बलवंत सिंह घायल अवस्था में था किन्तु जीवित था, ने बताया कि धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना लोहार उर्फ देवेंद्र कुमार

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ने गुप्ती से उस पर हमला किया है। श्रीमती ज्ञान कौर बलवंत सिंह को, रिक्शा से सरकारी अस्पताल ले गईं। डॉक्टर ने प्रकरण  के बाद बलवंत सिंह को मृत घोषित कर दिया।

3. चिकित्सा अधिकारी ने थाना प्रभारी, सिटी कोतवाली, बिलासपुर को 7.45 बजे बलवंत सिंह की मृत्यु की सूचना भेजी। उस सूचना के आधार पर मर्ग सूचना दर्ज की गई और एन.आर. आर्या, पुलिस उपनिरीक्षक शासकीय अस्पताल, बिलासपुर गए, जहां श्रीमती ज्ञान कौर मौजूद थीं, जिन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज कराई। एन.आर. आर्या, उपनिरीक्षक ने इसे देहाती नालिसी के रूप में दर्ज किया। 19–6–1987 को नगर निरीक्षक रतन सिंह ठाकुर ने शव का पंचनामा तैयार किया और शव को शव प्रकरण  के लिए भेज दिया। डॉ. एस.के. तिवारी ने मृतक बलवंत सिंह के शव का शवप्रकरण  किया। प्रकरण  करने पर उन्होंने लीवर के दाहिने हिस्से पर 3 सेमी. X 1 सेमी. X 6 सेमी. गहरा एक चाकू के वार का निशान पाया। शव का आंतरिक प्रकरण  भी उनके द्वारा किया गया, उनकी राय है कि मृतक बलवंत सिंह की मृत्यु पेट पर चाकू लगने के कारण लीवर क्षतिग्रश्त होने पर अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई। उत्तरवादी  क्रमांक 1, धर्मेंद्र मौर्य के बयान और उसकी निशानदेही पर, गुप्ती और एक बुशर्ट बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया। उत्तरवादी  क्रमांक 1, धर्मेंद्र मौर्य के शरीर से फुलपैंट निकाला गया और जूते, मोजे और उसके नाखून के साथ जब्त कर लिया गया। जब्त गुप्ती को प्रकरण  के लिए चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा गया। डॉ. एस.के. तिवारी ने गुप्ती (चाकू) की प्रकरण  करने के बाद राय दिया कि मृतक बलवंत सिंह के शरीर पर मिली चोट जब्त गुप्ती द्वारा करित हो सकती है। दुर्भावना और दुश्मनी के तथ्य का समर्थन करने के लिए, विभिन्न रिपोर्टों और व्यवहार न्यायालय के फैसले की प्रतियां एकत्र कर जब्त कर ली गईं और पटवारी द्वारा तैयार की गई साइट प्लान भी प्राप्त की गई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत गवाहों का प्रकरण  किया। विवेचना पूरी होने के बाद, उत्तरवादी गण के विरूद्ध  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर की न्यायालय  में अभियोग पत्र गया, जिन्होंने मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को उपार्जित कर दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. विचारण न्यायालय ने उत्तरवादी क्रमांक 1, धर्मेंद्र मौर्य के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और उत्तरवादी क्रमांक 2, मुन्ना लोहार उर्फ देवेंद्र कुमार के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत आरोप विरचित किए। उत्तरवादी गण को आरोप पढ़कर सुनाए गए और उन्हें समझाया गया, जिन्होंने अपने निर्दोष होने का अभिवचन किया। उनका बचाव यह है कि वे निर्दोष हैं। उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है।

5. विचारण न्यायालय ने अ.सा.–1, श्रीमती ज्ञान कौर और अ.सा..–2, जय सिंह के बयान पर विश्वास नहीं किया और यह अभिनिर्धारित किया है कि घटना के तुरंत बाद किया गया था रिपोर्ट नहीं की गई थी, पटवारी द्वारा मौका नक्शा में दिखाई गई दूरी श्रीमती ज्ञान कौर और जय सिंह के बयान पर संदेह पैदा करती है, जिन्होंने उत्तरवादी गण को घटनास्थल से भागते हुए देखा था, जब्त की गई वस्तुएं खुले परिसर में पाई गई थीं, उत्तरवादी गण को रात में गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। उपरोक्त आधारों पर, विचारण न्यायालय ने दोनों उत्तरवादी गण को उनके विरूद्ध लगाए गए अपराधों से दोषमुक्त कर दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य के मामलों में दोषमुक्त किए जाने के विरूद्ध अपील के दायरे को न्याय दृष्टांत **पंजाब राज्य बनाम अजायब सिंह एवं अन्य, 2004 (7) एसबीआर 145** में रिपोर्ट, **हेमराज एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, 2003 (11–12) एसबीआर 378** में रिपोर्ट, **प्रीतमनाथ एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, 2002 (9) एसबीआर 345** में रिपोर्ट, थानेदार सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य, 2002 (2) एसबीआर 368** में रिपोर्ट, **शैलेन्द्र प्रताप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2003 (1) एसबीआर 634** में रिपोर्ट, **राजीवन एवं अन्य बनाम केरल राज्य, 2003 (4) एसबीआर 417** में रिपोर्ट, **भीमसिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2003 (2) एसबीआर 367** में रिपोर्ट के मामले पट विचार किया।

7. अगर संक्षेप में देखा जाए तो, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित विधि यह है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन कर सकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित है और उच्च कारणों पर

आधारित है या उसमें दुराग्रह की भावना है और यदि अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण दुराग्रही है या अभिलेखों पर आधारित नहीं है, तो वह दोषमुक्ति के आदेश को अपने दृष्टिकोण के अनुसार परिवर्तित कर सकता है।

8. (अ.सा.) 8 डॉ. एस.के. तिवारी, चिकित्सा अधिकारी और अन्य साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करते हुए, विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बलवंत सिंह की मृत्यु हो चुकी है, हालांकि, यह निर्धारित नहीं किया कि मृत्यु हत्या, दुर्घटनात्मक या प्राकृतिक थी। (अ.सा.) 8 डॉ. एस.के. तिवारी ने अपने बयान में कहा है कि 19/06/1984 को उन्होंने बलवंत सिंह के शव का शव प्रकरण किया था। उन्होंने पेट के अग्र भाग पर कॉस्टल मार्जिन के ठीक नीचे, मध्य रेखा से 4 सेमी पार्श्व में 3 सेमी x 1 सेमी का एक चाकू भोकने वाला घाव पाया। आंतरिक प्रकरण में, उन्होंने लीवर के दाहिने लोब पर 3 सेमी x 1 सेमी x 6 सेमी गहरा चाकू का घाव भी पाया। उन्होंने आगे कहा है कि चोटे मृत्यु पूर्व की थी, जो मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। उनकी राय में मृत्यु का कारण, आंतरिक रक्तस्राव और पेट पर चाकू भोकने वाला घाव के कारण हुआ था, जिससे लीवर में चोट लगी थी। उनका प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी – 18) है। उनके साक्ष्य को प्रति प्रकरण में चुनौती नहीं दी गई और उनके साक्ष्य को अविश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं लाया गया। इसलिए, उनके साक्ष्य और उनकी प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी – 18) से यह साबित हुआ कि बलवंत सिंह की मौत, हत्यात्मक प्रकृति की थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. विचारण न्यायालय ने यह तथ्य सिद्ध पाते हुए कि उत्तरवादी और मृतक के माता–पिता के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध थे, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उस शत्रुता के कारण झूठे फंसाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। श्रीमती ज्ञान कौर (अ.सा.)1 द्वारा 30/01/1985 को पुलिस थाना सिटी कोतवाली, बिलासपुर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट (प्र.पी – 2) है। उसने प्रकाश, कालीचरण और पार्वती के विरूद्ध के विरुध रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्होंने उसके साथ चप्पलों से मारपीट की। मृतक के पिता जयसिंह द्वारा पुलिस थाना सिटी कोतवाली, बिलासपुर में 14/09/1983 को कालीचरण, उसके बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के विरूद्ध दर्ज कराई गई

रिपोर्ट (प्र.पी – 3) है। इस रिपोर्ट में शिकायत की गई है कि कालीचरण ने जयसिंह से कब्जा वापस लेने के लिए उसके विरूद्ध झगड़ा किया और उसके घर का सामान फेंक दिया। जयसिंह (अ.सा.2) द्वारा पुलिस थाना सिटी कोतवाली, बिलासपुर में 29/01/1983 को अनूप, इंदर और धर्मेंद्र मौर्य के विरूद्ध दर्ज कराई गई रिपोर्ट (प्र.पी.–4) है, जिसमें कहा गया है कि उसे घर से बेदखल करने के लिए उन्होंने झगड़ा किया और धमकी दी। (प्र.पी. – 5) व्यवहार वाद क्रमांक 68–अ/83 (कालीचरण बनाम जयसिंह) में 21/07/1983 को पारित निर्णय की प्रति है, जिसके तहत जयसिंह के विरूद्ध बेदखली का एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। (प्र.पी. – 10), (प्र.पी. – 11) और (प्र.पी. – 12) रिपोर्ट (प्र.पी. – 2), (प्र.पी. – 3) और (प्र.पी. – 4) के समर्थन में सानहा प्रविष्टियों की प्रतियां हैं। इन रिपोर्टों को राधेश्याम (अ.सा.5) द्वारा तथा साक्षी (अ.सा.1) ज्ञान कौर और (अ.सा.2) जयसिंह द्वारा सनहा प्रविष्टियाँ प्रदर्श.पी/10 से पी/12 साबित की गई हैं। इन रिपोर्टों से यह स्थापित होता है कि घटना से पहले ज्ञान कौर, जयसिंह (किराएदार) और कालीचरण (भू स्वामी) तथा उसके पोते धर्मेंद्र मौर्य के बीच दुश्मनी थी। (अ.सा.1) ज्ञान कौर और (अ.सा.2) जयसिंह, बलवंत सिंह के माता–पिता हैं तथा धर्मेंद्र मौर्य कालीचरण का पोता है। यद्यपि दुश्मनी का तर्क दोधारी हथियार है, लेकिन साक्ष्य की समग्रता से यह निर्धारित करना होगा कि घटना दुश्मनी के परिणामस्वरूप हुई या दुश्मनी के कारण उत्तरवादीगण को झूठा फंसाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. (प्र.पी.)13 उत्तरवादी धर्मेन्द्र मौर्य का मेमोरेंडम कथन है। रतनसिंह ठाकुर(अ.सा..17) के कथन में यह प्रमाणित हुआ है कि दिनांक 19/06/1987 को उत्तरवादी धर्मेन्द्र मौर्य ने जो अभिरक्षा में था, मेमोरेंडम कथन दिया कि उसने कृष्ण कुमार वर्मा के सब्जी के खेत में गुप्ती को जमीन के अन्दर छिपा दिया है तथा अपनी बुशर्ट को नाले के पानी में छिपा दिया है। उसका कथन (प्र.पी.13) है।

सलीम खान (अ.सा.6) तथा सुधीर कुमार त्रिपाठी (अ.सा.7) वो साक्षी हैं, जिनकी उपस्थिति में उत्तरवादी धर्मेन्द्र मौर्य का मेमोरेंडम कथन (प्र.पी.13) रिकार्ड किया गया, किन्तु इन दोनों साक्षियों ने (प्र.पी.13) में अपने हस्ताक्षर तो स्वीकार किये, किन्तु उसमें निहित विषय–वस्तु से इन्कार

किया। दोनों साक्षी पक्षद्रोही घोषित किये गये। इन दोनों साक्षियों ने प्रतिप्रकरण में स्वीकार किया कि उन्होंने किसी कोरे कागज पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। अतः यह माना जायेगा कि मेमोरेंडम कथन उनकी उपस्थिति में दर्ज किया गया था, किन्तु किन्हीं अज्ञात कारणों से वे कथन की पुष्टि नहीं कर सके। प्रतिप्रकरण में साक्षी (अ.सा.17) रतनसिंह ठाकुर के प्रति प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसके बयान पर विश्वास न किया जा सके। इसलिए (अ.सा.17) रतनसिंह ठाकुर का बयान स्वीकार्य है और यह साबित होता है कि उत्तरवादी धर्मेंद्र मौर्य ने अपने मेमोरेंडम कथन में कहा है कि उसने कृष्ण कुमार वर्मा के सब्जी के खेत में गुप्ती को जमीन के नीचे छिपा दिया है और अपनी बुशर्ट को पानी के नीचे नाले में छिपा दिया है।

11. रतनसिंह ठाकुर (अ.सा.17) ने अपने बयान में यह कहा है कि उत्तरवादी धर्मेन्द्र मौर्य उन्हें उस स्थान पर ले गया, जहां उसने गुप्ती छिपाई थी और उस स्थान से उसे गुप्ती मिली। उसने गुप्ती और मिट्टी को (प्रदर्श.पी/14) के तहत जब्त कर लिया। उत्तरवादी धर्मेन्द्र मौर्य के कथन अनुसार बुशर्ट भी मिली और उसे (प्रदर्श.पी/15) के तहत जब्त कर लिया गया। उसके प्रतिप्रकरण में ऐसा कुछ भी ठोस सबूत नहीं लाया गया, जिससे उसके बयान पर विश्वास न किया जा सके, हालांकि (अ.सा.6) सलीम खान और (अ.सा.7) सुधीर कुमार त्रिपाठी, जो बरामदगी के साक्षी थे, इसका समर्थन नहीं किया। इन दोनों साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने किसी भी खाली कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसलिए, यह माना जाएगा कि ये दोनों साक्षी बरामदगी के समय मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में गुप्ती और बुशर्ट बरामद की गई और दस्तावेज तैयार किए गए, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से उन्होंने जानबूझकर सच्चाई को दबा दिया।

12. (प्रदर्श.पी/14 और पी/15) से यह स्थापित होता है कि उत्तरवादी धर्मेंद्र मौर्य के मेमोरेंडम कथन पर, गुप्ती (चाकू) बरामद किया गया है जिसे जमीन में छुपाया गया था, जहां "डोटका" सब्जियों की नार उगाई गई थीं, चाकू जमीन के अंदर था, ऊपर से सिर्फ उसका हत्था दिखाई दे रहा था, और अपीलार्थी का बुशर्ट, बेशरम झाड़ी के पास के नाले से बरामद किया गया। रतनसिंह ठाकुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अ.सा.17) ने प्रतिप्रकरण में स्वीकार किया कि जहां से गुप्ती बरामद की गई है वह सब्जी बाड़ी चारों तरफ से घेरी गई है। बाड़ी से एक रास्ता है जो बाड़ी के मालिक के घर की ओर जाता है। हालांकि बाड़ी एक खुला मैदान है, लेकिन यह चारों तरफ से बाड़ से घिरा हुआ है और गुप्ती वहां दिखाई देने वाली हालत में नहीं पड़ी थी, बल्कि धारदार हिस्से को जमीन के अंदर रखते हुए मिट्टी के नीचे छुपाई गई थी। इसलिए इसे कोई भी नहीं रख सकता क्योंकि इसे उत्तरवादी धर्मेंद्र मौर्य ने छुपाया था, इसलिए उन्होंने घटना के तुरंत बाद इसे बाड़ी से बरामद किया गया। इसके अलावा उक्त सब्जी बाड़ी खुली जगह नहीं बल्कि चारो तरफ से घेरी गयी थी , जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता है। जो भी वस्तुए प्राप्त हुये वे छुपाए गए थे, न कि खुले में पड़े हुये थे।

13. घटना 18/06/1984 को शाम 4.30 बजे घटित हुई। इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि घटना के तुरंत बाद मृतक बलवंत सिंह को उसकी मां श्रीमती ज्ञान कौर सीधे जिला अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सा अधिकारीने बलवंत सिंह की प्रकरण की और उसे मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट (प्रदर्श.पी/26) को (अ.सा.14) एम.ए. खान द्वारा साबित किया गया है, जिसे चिकित्सा अधिकारी ने थाना प्रभारी, सिटी कोतवाली, बिलासपुर को भेजा है। उक्त सूचना 18/06/1984 को शाम 7.45 बजे भेजी गई थी। देहाती नालसी (प्रदर्श.पी/1) को श्रीमती ज्ञान कौर (अ.सा.1) द्वारा पुलिस में जिला अस्पताल, बिलासपुर में दर्ज कराया गया था, जिसे (अ.सा.16) एन.आर.आर्य, उप निरीक्षक द्वारा साबित किया गया। रिपोर्ट 18/06/1984 को 20.30 बजे दर्ज की गई थी, जिसका अर्थ है कि रिपोर्ट घटना के 4 घंटे बाद दर्ज हुयी है। बलवंत सिंह को चोट लगने पर उसकी मां ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया तब चिकित्सा अधिकारी ने घायल की प्रकरण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया और इस बात की सूचना पुलिस थाने में भेज दी। पुलिस थाना के उप निरीक्षक जिला अस्पताल, बिलासपुर आए और श्रीमती ज्ञान कौर से प्रतिवेदन प्राप्त की। इसलिए, रिपोर्ट तुरंत दर्ज की गई और रिपोर्ट दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई है। ज्ञान कौर (अ.सा.1) ने अपने बयान में कहा है कि उनके पति रिक्शा लेकर आए और उन्होंने मृतक बलवंत सिंह को रिक्शा में बिठाया और वे उसे जिला अस्पताल ले गए। यद्यपि (अ.सा.1) ज्ञान कौर ने अपनी प्रतिप्रकरण में कहा है कि वह

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अकेली बलवंत सिंह को अस्पताल ले गई थी, इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके पति अपने घायल बेटे को देखने अस्पताल नहीं गए थे। उपरोक्त साक्ष्य से यह साबित हुआ कि रिपोर्ट तुरंत दर्ज की गई थी और अनुमानों और अटकलों के आधार पर ऐसी रिपोर्ट को देर से नहीं कहा जा सकता है।

14. (अ.सा.1) ज्ञान कौर ने अपने बयान में कहा है कि उसने अपने बेटे बलवंत सिंह द्वारा लगाई गई आवाज सुनी कि "माँ – मार डाला" और यह सुनकर वह और उसका पति मौके पर पहुंचे और देखा कि उत्तरवादी धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना जो हमला करने के बाद घटनास्थल से भाग रहे थे। वे बलवंत सिंह के पास पहुंचे जिसने उन्हें बताया कि धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना ने उसके साथ मारपीट की और यह भी बताया कि गुप्ती से उस पर हमला किया। घटना के तुरंत बाद उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, यानी (प्रदर्श.पी./1) जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बेटे बलवंत सिंह ने चिल्लाकर कहा कि "मार डाला", शोर सुनकर वह और उनके पति घर से बाहर आए और उत्तरवादी धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना को घटनास्थल से भागते देखा। बलवंत सिंह ने उन्हें बताया कि धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना ने गुप्ती से पेट पर वार किया। (प्रदर्श.पी./1) में "माँ" शब्द गायब है और "चाकू" शब्द है। गुप्ति (एक प्रकार का चाकू) के स्थान पर चाकू का प्रयोग किया गया है। बहुत बार लोग गुप्ति को चाकू कहते हैं, इसलिए उत्तरवादीओं द्वारा लाया गया विरोधाभास और लोप केवल औपचारिक प्रकृति की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. प्रतिप्रकरण में श्रीमती ज्ञान कौर (अ.सा.1) ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार किया कि बलवंत सिंह अपने दोनों हाथों से उसके घाव को दबाते हुए आया था तथा कहा कि धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना एक साथ आए तथा मुन्ना द्वारा उसे पकड़ लिए जाने के पश्चात धर्मेंद्र मौर्य ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। उसने (प्रदर्श.डी/1) के भाग ए से ए में इस प्रकार के कथन का खंडन किया है। (प्रदर्श.डी/1) को (अ.सा.17) रतनसिंह ठाकुर द्वारा साबित किया गया। स्वाभाविक रूप से जब (प्रदर्श.पी/1) में उक्त कथन नहीं बताया गया था, तो ऐसा कथन (अ.सा.1) ज्ञान कौर द्वारा पुलिस को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत कैसे दिया जा सकता था? इसलिए उसका खंडन सत्य था तथा उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता था, यदि पुलिस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दिए गए कथन में ऐसा कथन लिखा है, जो उसने नहीं दिया है, तो उस कथन

के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उस कथन में भी यह तथ्य अंतर्निहित है कि दोनों उत्तरवादी गण ने बलवंत सिंह के पेट पर चाकू घोंपकर उस पर हमला किया।

16. जयसिंह (अ.सा.2) ने अपने बयान में कहा है कि अपने पुत्र की आवाज सुनकर जब वह घर से बाहर आया तो उसने देखा कि धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना घटनास्थल से भाग रहे थे, और बलवंत सिंह ने उन्हे बताया कि धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना ने उसके साथ मारपीट की है। (प्रदर्श.डी./2), (अ.सा.17) रतनसिंह ठाकुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत साबित किया गया बयान है। (प्रदर्श.डी./2) में पुलिस ने उसका साक्ष्य दर्ज किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि बलवंत सिंह ने अपने दोनों हाथों से उसके घाव को दबाते हुए कहा कि धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना एक साथ आए, मुन्ना ने उसे पकड़ लिया और धर्मेंद्र ने उसके पेट में चाकू घोप दिया। साक्ष्य ने स्पष्टरूप से न्यायालय में कहा है की, उसे बलवंत सिंह ने बताया है कि धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना ने उस पर गुप्ती से वार किया है। (प्रदर्श.डी./2), में बहुत सी बातों में से यह तथ्य नही कहा, किन्तु यह बात कहा है कि बलवंत सिंह ने उसे बताया था कि, उसे चोट दोनों उत्तरवादी गण द्वारा पहुचाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. बलवन्त सिंह द्वारा शोर मचाने पर तथा उसके बाद आवाज सुनकर (अ.सा.1) ज्ञान कौर तथा (अ.सा.2) जयसिंह घर से बाहर आये तथा देखा कि दोनों उत्तरवादी मौके से भाग रहे हैं, उनके पूर्व कथनों में कोई विरोधाभास या लोप नहीं पायी गयी। यद्यपि दोनों गवाहों द्वारा (प्रदर्श.डी/1 तथा डी/2) में लिखित विस्तृत कथन का खण्डन किया गया, परन्तु दोनों ने ही यह कहा है कि बलवन्त सिंह ने बताया कि धर्मेन्द्र मौर्य तथा मुन्ना ने उसके साथ मारपीट की। (अ.सा.1) ज्ञान कौर ने भी कहा है कि बलवन्त सिंह ने उसे बताया कि दोनों उत्तरवादी गण ने उसके पेट पर गुप्ती (चाकू) से वार किया। (प्रदर्श.पी/1) देहाती नालसी (एफ.आई.आर.) वस्तुतः उसका पूर्व कथन है। उस रिपोर्ट में श्रीमती ज्ञान कौर (अ.सा.1) ने केवल इतना बताया कि बलवन्त सिंह ने बताया कि धर्मेन्द्र मौर्य तथा मुन्ना ने उसके पेट पर चाकू से वार किया। अतः उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि जहां तक बलवंत सिंह द्वारा की गई घोषणा का प्रश्न है, गवाहों के पूर्व बयानों में पर्याप्त विवरण उपलब्ध है।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रिज़ान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2003) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 661 रिपोर्ट,** में अवधारित किया कि संबंध साक्षी  की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई रिश्ता किसी साक्षी  की वास्तविकता को नहीं छिपाता। अपराधी को छोड़कर निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाना। यदि झूठे आरोप लगाने का अभिवचन  किया जाता है तो नींव रखनी होगी। ऐसे मामलों में, न्यायालयको सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए सबूतों का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है। साक्ष्य में सामान्य विसंगतियां वे हैं जो अवलोकन की सामान्य त्रुटियों, समय बीतने के कारण स्मृति की सामान्य त्रुटिया, घटना के समय सदमे और भय जैसे मानसिक स्वभाव के कारण होती हैं, और ये स्वाभाविक होती हैं, चाहे साक्षी  कितना ही ईमानदार और सच्चा क्यों न, हो। महत्वपूर्ण विसंगतियां वे हैं जो एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं हैं। न्यायालयों को उस श्रेणी की पुष्टि करनी होगी जिसमें एक विसंगति को वर्गीकृत किया जा सके। जबकि सामान्य विसंगतियां किसी पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को कम नहीं करती हैं, महत्वपूर्ण विसंगतियां करती हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. इस मामले में, दोनों साक्षी  (अ.सा.1) ज्ञान कौर और (अ.सा.2) जयसिंह मृतक के माता–पिता हैं। घटना के तुरंत बाद, माता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों उत्तरवादी  बलवंत सिंह को लगी चोटों के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भू स्वामी और किरायेदारी विवाद के संबंध में पक्ष शत्रुतापूर्ण थे, लेकिन यह विवाद इतना गंभीर नहीं है कि माता–पिता वास्तविक अपराधी को छोड़कर दोनों उत्तरवादी गण को इस मामले में झूठा फंसा दें। इसके अलावा ज्ञान कौर (अ.सा.1) ने अपने साक्ष्य में बिना किसी अतिशयोक्ति के केवल इतना कहा कि बलवंत सिंह ने बताया कि धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना ने उस पर गुप्ती (चाकू) से हमला किया। वस्तुतः उसका पिछला बयान (प्रदर्श.पी./1) है जो देहाती नालसी (एफ.आई.आर.) है। उस रिपोर्ट में भी उसने बताया कि बलवंत सिंह ने बताया कि धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना ने उसके पेट पर चाकू मारा, इसलिए वह न्यायालय में अपने बयान का खंडन या अतिशयोक्ति नहीं कर रही है। जहा तक संदर्भित साक्ष्य (प्रदर्श डी/1) यानी दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 161 के तहत दर्ज बयान का संबंध है,

उसकी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/1) को देखते हुए उसका स्पष्टीकरण सही और स्वीकार्य था। जहां तक जयसिंह (अ.सा.2) के साक्ष्य का संबंध है, (प्रदर्श डी/2) के संदर्भ में लोप, उसकी पत्नी ज्ञान कौर (अ.सा.1) के बयान पर विचार करते हुए उसका स्पष्टीकरण भी सही और स्वीकार्य है। (प्रदर्श पी/21) वह नक्शा है जिसे (अ.सा.10) ने साबित किया है। घटनास्थल और गवाहों से दूरी क्रमशः 65 फीट और 68 फीट थी, इसलिए दूरी इतनी अधिक नहीं थी कि यह साबित हो सके कि वे उत्तरवादी गण को वहां से भागते हुए नहीं देख सकते। ज्ञान कौर (अ.सा.1) और जयसिंह (अ.सा.2) का पूरा साक्ष्य गवाहों द्वारा विधिवत बताए जाने के बाद, सामान्य लोप और विसंगति के आधार पर खारिज करने योग्य नहीं था।

20. अपने निर्णय में विद्वान न्यायालय ने गवाहों पर अविश्वास करने का एक आधार यह भी लिया कि जब घटनास्थल पर लोग एकत्र हुए तो उन्होंने उन लोगों को कुछ नहीं बताया। इस मामले में, दोनों साक्षी मृतक बलवंत सिंह के माता–पिता हैं और उनका बेटा बुरी तरह घायल था, इसलिए वे घायल को अस्पताल ले जाने की जल्दी में थे, इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक है कि वे परिवहन की तलाश करें और घायल को तुरंत अस्पताल ले जाएं और उन्होंने अपना समय बर्बाद करने के बजाय ऐसा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. डॉ. एस.के. तिवारी (अ.सा.8) ने भी यह गवाही दी कि उन्होंने चाकू का प्रकरण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श.पी./19–ए) दी जिसमें कहा गया कि मृतक के पेट पर चोट (प्रदर्श.पी./19) में प्रकरण के लिए भेजे गए चाकू से कारित हुई थी। उनके साक्ष्य को उत्तरवादी गण द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। (अ.सा.17) रतनसिंह ठाकुर ने अपने साक्ष्य में साबित किया है कि उत्तरवादी धर्मेंद्र मोर्य की निशानदेही पर ही चाकू जब्त किया गया और (प्रदर्श.पी/19) के तहत प्रकरण के लिए चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा गया।

22. जहां तक अभियुक्त/उत्तरवादी धर्मेन्द्र मौर्य का संबंध है, निम्नलिखित सिद्ध परिस्थितियां विद्यमान हैं:–

1) बलवंत सिंह के माता–पिता के साथ उनके शत्रुतापूर्ण संबंध थे।

2) वह घटनास्थल से भागता हुआ पाया गया जहां घायल बलवंत सिंह पड़ा था।

3) बलवंत सिंह ने अपनी मां और पिता यानी (अ.सा.1) ज्ञान कौर और (अ.सा.2) जयसिंह को बताया कि धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना ने उस पर हमला किया है। यह सबूत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।

4) उत्तरवादी धर्मेन्द्र मौर्य की निशानदेही पर बाड़ से घिरे सब्जी के खेत से चाकू बरामद किया गया, जिसे उसने छुपाकर रखा था तथा चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार मृतक बलवंत सिंह के शरीर पर पाई गई चोट इसी हथियार से आ सकती है।

23. जहां तक उत्तरवादी मुन्ना का संबंध है, अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियां साबित की गई हैं:–

1) वह घटनास्थल से भागता हुआ पाया गया।

2) बलवंत सिंह को बताया कि धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना ने उस पर हमला किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सुबिमल सरकार बनाम सचिंद्रनाथ मंडल एवं अन्य, 2003 में रिपोर्ट (2) एस.सी.सी.** में कहा गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित दांडिक प्रकरणो में यह आवश्यक है कि परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ियों को साबित किया जाए और परिस्थितियों की श्रृंखला की सभी कड़ियों को एसे स्थापित किया जाना चाहिए ताकि यह साबित किया जा सके कि सभी संभावनाओं में केवल अभियुक्त व्यक्ति ही अपराध कर सकता है।

25. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अनुमानों और अटकलों तथा कमजोर आधारों पर ज्ञान कौर (अ.सा.1) और जयसिंह (अ.सा.2) के साक्ष्य को खारिज कर दिया तथा अभियोजन पक्ष के मामले को भी संदिग्ध माना, इसलिए जहां तक उत्तरवादी धर्मेन्द्र मौर्य का संबंध है, विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत है तथा उसमें हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है।

26. वर्तमान मामले में, यह साबित हुआ है कि बलवंत सिंह की मृत्यु पेट में चाकू घोंपने से हुई थी। चोट लगने के तुरंत बाद घटना के बाद बलवंत सिंह ने शोर मचाया और चीख पुकार सुनकर उसकी माँ और पिता यानि (अ.सा.1) ज्ञान कौर और (अ.सा.2) जयसिंह घर से बाहर आए और उत्तरवादी

धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना को घटनास्थल से भागते हुए देखा और जब वे बलवंत सिंह के पास पहुंचे, तो उसने बताया कि धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना ने उस पर हमला किया है। बलवंत सिंह को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई और अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी ने उसकी प्रकरण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मृत्यु के तुरंत बाद चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुलिस थाने में सूचना भेजी गई। पुलिस अस्पताल आई और अस्पताल में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया, जो (अ.सा.1) ज्ञान कौर द्वारा दिए गए बयान की पुष्टि करती है। प्रतिवेदन के बाद, अगले दिन उत्तरवादी धर्मेंद्र मौर्य की निशानदेही पर चाकू को बाड़बंदी से घीरे सब्जी के खेत से, छिपी हुई हालत में बरामद किया गया। उत्तरवादी धर्मेंद्र मौर्य के पास बलवंत सिंह की हत्या करने का आशय था। यहां सभी परिस्थितियां एक पूरी श्रृंखला बनाती हैं और सभी संभावनाओं में वे साबित करते हैं कि उत्तरवादी धर्मेंद्र मौर्य वह व्यक्ति है जिसने बलवंत सिंह की हत्या करने के आशय से उसके पेट में चाकू घोंपा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

27. जहां तक उत्तरवादी मुन्ना का सवाल है, वह घटनास्थल से भागता हुआ पाया गया था और बलवंत सिंह ने अपने माता–पिता को बताया था कि धर्मेंद्र मौर्य और मुन्ना ने उस पर हमला किया है। मृतक बलवंत सिंह को केवल एक ही चोट लगी थी और वह भी चाकू से लगी थी और चाकू को उत्तरवादी धर्मेंद्र मौर्य की निशानदेही पर जब्त कर लिया गया था। इसलिए, उत्तरवादी मुन्ना ने मृतक बलवंत सिंह को कोई चोट नहीं पहुंचाई है। मुन्ना का मृतक या उसके माता–पिता से कोई शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं है। इस बात का समर्थन करने के लिए कि धर्मेंद्र मौर्य ने मुन्ना के समान आशय के अग्रसरण में बलवंत सिंह को चाकू मारा, कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। इसलिए, केवल इसलिए कि उत्तरवादी मुन्ना घटनास्थल से भागता हुआ पाया गया था और बलवंत सिंह ने भी उसका नाम बताया था, यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरवादी मुन्ना समान आशय के अनुसरण में धर्मेंद्र मौर्य ने बलवंत सिंह को चाकू मारा और उसे मार डाला.

28. उपरोक्त विवेचना से यह सिद्ध होता है कि धर्मेन्द्र मौर्य ने बलवन्त सिंह को जान से मारने के आशय से उसके पेट में चाकू मारा, जिससे बलवन्त सिंह की मृत्यु हो गई, अतः धर्मेन्द्र मौर्य धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय, बलवन्त सिंह की हत्या का दोषी है।

29. जहां तक उत्तरवादी मुन्ना का सवाल है, यह साबित नहीं हुआ है कि उत्तरवादी मुन्ना और धर्मेंद्र मौर्य के समान आशय के अग्रसरण में धर्मेंद्र मौर्य ने बलवंत सिंह के पेट में चाकू मारा। इसलिए, उत्तरवादी मुन्ना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के तहत बलवंत सिंह की हत्या का अपराध करने का दोषी नहीं है।

30. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकारकी जाती है। जहां तक उत्तरवादी मुन्ना को दोषमुक्त करने का सवाल है, अधीनार्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा जाता है। जहां तक उत्तरवादी धर्मेंद्र मौर्य का सवाल है, अपील स्वीकार की जाती है। धर्मेंद्र मौर्य को दोषमुक्त करने का फैसला खारिज किया जाता है। इसके बजाय उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय, बलवंत सिंह की हत्या कारित करने का दोषी माना जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

31. इस स्तर पर, दंड के प्रश्न पर उत्तरवादी धर्मेन्द्र मौर्य की सुनवाई हेतु निर्णय को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

32. दंड के प्रश्न पर सुना गया ।

33. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाता धर्मेन्द्र मौर्य को आजवन कारावास और 1,000/- रूपये (एक हजार रूपये) के जुर्माने से दंडित किया जाता है जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 6 (छह) महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

| | |
|---|---|
| **एसडी/–** | **एसडी/–** |
| वी.के.श्रीवास्तव | सतीश क. अग्निहोत्री |
| न्यायमूर्ति | न्यायमूर्ति |

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by:– Gajendra Prakash Sahu

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur